न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—240/2015/75 (2015/00226)

1. सुखलाल पुत्र मांगीलाल, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम केकड़ी, तह0 केकड़ी, जिला अजमेर (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— रोडू,
   1/2— पप्पू,
   1/3— हेमराज,
   1/4— गोपी,
   1/5— कैलाशी बेवा सुखलाल,
   समस्त जाति गुर्जर, नि0 केकड़ी, जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, केकड़ी, जिला अजमेर ।
2. अध्यक्ष नगर पालिका, केकड़ी ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर आदेश क्रमांक राजस्व एफ—2 सी/12/117 दिनांक 9.11.2012.

उपस्थितः—

1. श्री राकेश अरोड़ा, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट संख्या 1.
3. श्री शांतिप्रकाश औझा, वकील रेस्पो0 संख्या 2

निर्णय

दिनांकः—24.10.2018

1. यह अपील विद्वान कलक्टर, अजमेर के आदेश क्रमांक एफ—2सी/12/177 दिनांक दिनांक 9.11.2012 के विरूद्ध प्राप्त हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश क्रमांक फ—2सी/12/177 दिनांक दिनांक 9.11.2012 के द्वारा आराजी खसरा नंबर साबिक 841/5 मिन हाल 4925 रकबा 4.33 है0 वाके ग्राम केकड़ी, तहसील केकड़ी में से रकबा 2.33 है0 आराजी को अन्य आराजियात के साथ—साथ रेस्पो0 संख्या 2 नगर पालिका, केकड़ी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3. अपील दर्ज रजिस्ट की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विद्वान जिला कलक्टर, अजेमर ने आदेश दिनांक 9.1.2012 द्वारा अन्य आराजियात के साथ–साथ ग्राम केकड़ी, तहसील केकड़ी के साबिक खसरा नंबर 481/5 मिन हाल ख़ासरा नंबर 4925 रकबा 4.33 है0 में से 2.33 है0 रकबा को रेस्पो0 संख्या 2 नगर पालिका, केकड़ी के नाम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये है जबकि वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 4925 में रकबा 0.64 है0 पर अपीलांट का बहैसियत खातेदार कब्जा गत 40 वर्षो से निरन्तर चला आ रहा है । अधी0न्याया0 ने अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एवं बिना नोटिस दिये रेस्पो0 संख्या 2 को विवादित आराजी हस्तातंरित करने के आदेश पारित किये है जो विधिविरूद्ध है । विवादित आराजियात पर अपीलांट की फसल खड़ी है जिससे उसके कब्जे की पुष्टि होती है । आक्षेपित आदेश की आड़ में रेस्पो0 संख्या 2 अपीलांट को विवादित आराजी से बेदखल करने पर आमादा है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 9.11.2012 खसरा नंबर 4925 की हद तक निरस्त किया जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 4925 रकबा 0.64 है0 पर बहैसियत खातेदार काबिज काश्त है जिसे कभी भी रेस्पो0 संख्या 1 या 2 द्वारा बेदखल नहीं किया गया है । रेस्पो0 संख्या 2 द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड़ में हाल ही में दिनांक 25.6. 2015 को अपीलांट को बेदखल किये जाने की कार्यवाही किये जाने पर तथा पटवारी हल्का द्वारा अपीलाधीन आदेश से अवगत कराये जाने पर अपीलांटस को अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई । तत्पश्चात् अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारीसे अंदर मियाद यह अपील प्रस्तुत की है । अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान पैरोकार सरकार रेस्पो0 संख्या 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने अन्य आराजियात के साथ–साथ विवादित आराजी खसरा नंबर 4925 को रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित किये जाने के आदेश पारित किये है तथा उक्त हस्तातंरण आदेश की पालना में नामांतकरण संख्या 2544 दिनांक 18.11.2012 को स्वीकृत किया जाकर विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में रेस्पो0 संख्या 2 के नाम अमल दरामद हो चुका है । विवादित आराजियात बरवक्त हस्तातंरण सिवायचक दर्ज होने से हस्तातंरित की गई है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है। सिवायचक आराजी पर कब्जे काश्त के आधार पर खातेदारी दिये जाने के प्रावधानों नियमों नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने बहस में निवेदन किया कि विवादित आराजी राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज होने से विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने अन्य आराजियात के साथ–साथ विवादित आराजी खसरा नंबर 4925 को रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित किये जाने के आदेश पारित किये है तथा उक्त हस्तातंरण आदेश की पालना में नामांतकरण संख्या 2544 दिनांक 18.11.2012 को स्वीकृत किया जाकर रेस्पो0 संख्या 2 के नाम अमल दरामद भी हो चुका है । विद्वान जिला कलक्टर के हस्तातंरण आदेश में क्या त्रुटि है यह अपीलांट ने दस्तावेजी

साक्ष्यों से साबित नहीं किया है । अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

8. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित प्रतीत होते है । वैसे भी मियाद के बिन्दू पर किसी प्रकरण का अंतिम विनिश्चयन नहीं हो सकता है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

9. प्रकरण के गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है विवादित आराजी खसरा नंबर 4925 साबिक खसरा नंबर 841/5 मिन से बना है । खसरा नंबर 4925 का रकबा 2.33 है0 राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश क्रमांक एफ–2(सी)12/177 दिनांक 9.11.2012 द्वारा विवादित आराजी को अन्य आराजियात के साथ–साथ रेस्पो0 संख्या 2 नगर पालिका, केकड़ी को हस्तातंरण किये जाने के आदेश पारित किये है तथा उक्त हस्तातंरण आदेश की पालना में नामांतकरण संख्या 2544 दिनांक 18.11.2012 को रेस्पो0 संख्या 2 के पक्ष में स्वीकृत किया जाकर उक्त नामांतकरण का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद भी हो चुका है । अपीलांट का कथन है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 4925 के रकबा 0.64 है0 पर गत् 40 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है । इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध धारा 91 के नोटिस का अवलोकन किया गया । अपीलांट ने दिनांक 23.10.2012, 13.2.2012, 28.8.2009, 18.9.2008 एवं 18.11.2014 के नोटिस की प्रतियां पेश की है जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलांट का विवादित भूमि पर गत् 40 वर्षो से कब्जा काश्त रहा हो । यदि अपीलांट का विवादित भूमि पर 40 वर्ष पुराना कब्जा काश्त था तो उसके द्वारा अब तक नियमन अथवा आवंटन के संबंध में कार्यवाही क्यों नहीं की गई इस संबंध में कोई संतोषप्रद जवाब अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है । सिवायचक आराजी पर कब्जे काश्त के आधार पर अपीलांट को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होते है । बरवक्त आवंटन विवादित आराजी सिवायचक दर्ज होने से विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने विवादित आराजी रेस्पो0 संख्या 2 को हस्तातंरित किये जाने के आदेश पारित किये है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 9.11.2012 यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

10. अतःअपील अपीलांट खारिज की जाती है विद्वान कलक्टर, अजमेर का आदेश दिनांक 9.11.2012 यथावत् रखा जाता है ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 24.10.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर